संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं

मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन भोपाल

कं/आई.डी.एस.पी./2020/ 468 भोपाल दिनांक 16 /04/2020

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषयः– कोविड–19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए बाह्य रोगियों के Triage व व्यवस्थापन के संबंध में।

अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड–19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि अस्पतालों के प्रवेश द्वार पर ही आगन्तुकों की प्रारम्भिक स्क्रीनिंग करा ली जावे ताकि सर्दी जुकाम, खांसी व बुखार के लक्षण वाले व्यक्तियों जोकि अस्पातल में किसी भी कारण से आ रहे हों उन्हें सर्वप्रथम संबंधित ओ.पी.डी. में पहुंचाकर प्रारम्भिक परीक्षण करा लिया जावे एवं संदिग्ध संक्रमित रोगी व अन्य रोगियों का अस्पताल में संपर्क नियत्रित कर कोरोना वायरस के अस्पताल जनित प्रसार का रोका जा सके। **अतः निर्देशित किया जाता है कि :–**

1. अस्पतालो में प्रवेश द्वार पर ही सर्दी/खांसी/बुखार के मरीजों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।
2. समस्त अधीनस्थ अस्पतालों में रोगियों के प्रवेश एवं निकाय को नियंत्रित किया जाए।
3. जिन अस्पतालों में एक ही प्रवेश/निकाय द्वार हो, वहां परिसर के भीतर आगमन व निर्गमन को बेरिकेटिंग कर पृथक किया जाए।
4. प्रारंभिक परीक्षण केन्द्र में पैरामेडिकल स्टाफ का नामजद दैनिक रोस्टर तैयार किया जाए।
5. तैनात स्टाफ से रोगियों की दूरी हेतु 1 मीटर के दायरे में बेरिकेटिंग सुनिश्चित की जाए व Public Address System/माईक का उपयोग किया जाए।
6. रोगियों में Social Distancing सुनिश्चित करने के लिए चॉक/चूने से मीटर – मार्किंग सुनिश्चित करें।
7. प्रारंभिक परीक्षण केन्द्र में तैनात पैरा मेडिकल स्टॉफ का दायित्व होगा कि बुखार सर्दी–खांसी व सांस की तकलीफ वाले रोगियों तथा इन मरीज के संपर्क/भ्रमण इतिहास वाले रोगियों को सीधे FLU OPD में भेजे।
8. समस्त पैरामेडिकल स्टाफ को व्यक्तिगत सुरक्षा साधन (PPE) व Sanitizer उपलब्ध कराई जाए व प्रोफाईलक्टिक Hydroxychloroquin प्रदाय जी जाए।

Scanned with CamScanner

9. जिन अस्तपालों में एक से अधिक प्रवेश/निकास द्वार हों उन सभी को बन्द कर आगमन हेतु मात्र एक द्वार ही खुला रखा जाये एवं कोविड–19 के संदिग्धों (ILI के लक्षण वाले रोगियों) हेतु पृथक आगमन/निर्गमन सुनिश्चित किया जाए। अगर ऐंसा करना संभव नही है तो अन्य गेट पर भी एक हेल्प डेस्क लगाकर आगन्तुकों से पूछताछ कर स्क्रीनिंग की जावे।

10. समस्त रोगियों व रोगी के साथ परिजनो (आवश्यकतानुसार अधिकतम एक परिजन) को मास्क/रूमाल/गमछा/दुपट्टा आदि से मुंह ढांकने निर्देशित किया जाये।

11. प्रारंभिक परीक्षण केन्द्र का प्रत्येक 8 घण्टे के अंतराल पर 1% Hypoclorite Solution में सैनेटाईजेशन सुनिश्चित किया जाये।

(फैज अहमद किदवई)
आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

क्रं/आई.डी.एस.पी./2020/469

भोपाल दिनांक 16/04/2020

प्रतिलिपिः–

1. समस्त, संभागायुक्त, म.प्र.।
2. समस्त कलेक्टर्स, म.प्र.।
3. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं म.प्र.।

15/4

आयुक्त
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner